संख्या– 167 /सत्तर–3–2020–08(36)/2021

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
   उच्च शिक्षा
   उ0प्र0, प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
   समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय
   उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक : 19 जनवरी, 2021**

विषयः– नवाचार को प्रोत्साहन स्टार्ट–अप नीति के अन्तर्गत इन्क्यूबेटर्स की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

उच्च शिक्षण संस्थानों में उत्तर प्रदेश स्टार्ट–अप नीति–2020 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या :–1632/सत्तर–3–2020–08(36)/2020 दिनांक 22.08.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से शैक्षिणिक हस्तक्षेप द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निर्देश जारी किये गये हैं। कृपया इस सम्बन्ध में अद्यतन की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट शासन को दिनांक 29 जनवरी, 2021 तक उपलब्ध करायें तथा शेष कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न कराते हुए विश्वविद्यालय की रिपोर्ट 28 फरवरी, 2021 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. उच्च शिक्षण संस्थानों (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों) में स्टार्ट–अप ईकोसिस्टम विकसित किये जाने हेतु इन्क्यूबेटर्स की स्थापना भी की जानी अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–813/78–1–2020/25/2012 दिनांक 15 जुलाई, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश स्टार्ट–अप नीति–2020 के प्राविधानों के आलोक में कार्यवाही की जानी है।

3. अद्यतन निम्नलिखित उच्च शिक्षण संस्थानों में इन्क्यूबेटर्स की स्थापना की सूचना प्राप्त हुई है :–

i. एमजेपी रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
ii. एमिटी विश्वविद्यालय इन्नोवेशन हब, लखनऊ
iii. बेनेट हैचरी, ग्रेटर नोएडा

iv. अटल इन्क्यूबेशन सेन्टर– बीएचयू, वाराणसी

v. जयपुरिया इन्क्यूबेटर, लखनऊ

vi. स्टार्टअप लॉन्चपैड, जी.एल.ए. यूनिवर्सिटी, मथुरा

4. उक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सभी राज्य विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेटर्स अनिवार्यतः 31 मार्च, 2021 तक स्थापित कर लिए जाएं। इसके अतिरिक्त, निजी विश्वविद्यालयों तथा प्रदेश में स्थित उच्च श्रेणी के महाविद्यालयों में भी प्राथमिकता के आधार पर इन्क्यूबेटर्स की स्थापना की जाय।

भवदीया

(मोनिका एस0 गर्ग)
अपर मुख्य सचिव

संख्या 1670(1)एवं दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपि अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद् को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार सूचनाएं एकत्र करके शासन को 04 फरवरी, 04 मार्च एवं 08 अप्रैल, 2021 तक उपलब्ध कराएं।

आज्ञा से

19/1

(मोनिका एस0 गर्ग)
अपर मुख्य सचिव